

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
वीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

सीडर/ 2022/ 214

दिनांक :- 22.4.2022

मुकदमा नंबर 51/2022

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
<p>1. रूपेन्द्र कुमार पुत्र रतनसिंह जाति जाटव निवासी सुहास तहसील बेर जिला भरतपुर (राज)।</p> <p>2. जितेन्द्र कुमार भंडारी पुत्र रतनसिंह जाति जाटव निवासी सुहास तहसील बेर जिला भरतपुर (राज)</p>		<p>1. नेनाराम पुत्र पनाराम कौम भील साकिन तिरगटी तहसील सिवाना जिला बाडमेर</p> <p>2. चूनाराम पुत्र रावाराम भील साकिन सांभरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर</p> <p>3. हेतराम मीणा पुत्र छीतरसिंह मीणा साकिन बिरहरू तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर</p> <p>4. मांगाराम पुत्र भोमाराम कौम भील साकिन सांभरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर</p> <p>5. घमण्डाराम पुत्र किस्तुराम कौम मेगवाल साकिन साजियाली तहसील पचपदरा जिला बाडमेर</p> <p>6. गंगाराम पुत्र कपुराराम कौम मेगवाल साकिन साजियाली पदमसिंह प्रथम तहसील पचपदरा जिला बाडमेर</p> <p>7. कानाराम पुत्र मिसराराम कौम भील साकिन सांभरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)</p> <p>8. राजस्थान सरकार (भूमिधारक जरिये तहसीलदार) पचपदरा</p>



आदेश

दिनांक :- 22.04.2022

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सांभरा पटवारी क्षेत्र खेड भू-निरीक्षक पचपदरा तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं० 152/6 रकबा 60 बीघा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीश्नर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।


(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा

शहर / 2022 / 215

दिनांक :- 22/1/22

शहरीजदार पत्रपत्रा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित
करे, साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ट बुक, राजस्व आवेदन संख्या
व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवायें




उपखण्ड अधिकारी,
(भूजमापन)
उपखण्ड कार्यालय
पालनपुर